



# बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर  
वर्ग - 2

07 चैत्र, 1939 (श.)

मंगलवार, तिथि -----

28 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या - 25

1.	स्वास्थ्य विभाग	....	....	16
2.	ऊर्जा विभाग	....	....	06
3.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	....	....	01
4.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	....	....	02
			-----	
		कुल योग -		25

### उद्घाटन नहीं

\* 439. श्री सुमन कुमार : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड मुख्यालय में 30 बेडों का रेफरल अस्पताल बना था;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त रेफरल अस्पताल का उद्घाटन नहीं हो पाया है;
- (ग) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के उक्त रेफरल अस्पताल रखरखाव के अभाव में जर्जर हो गया है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रेफरल अस्पताल के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उक्त परिसर में स्थापित करने का विचार करती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### निर्माण का प्रस्ताव

\* 440. श्री मंगल पाण्डेय : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि बिहार के बिजली घर में कांटी एवं बरौनी के बिजली घरों में तीसरी यूनिट निर्माण का प्रस्ताव सरकार के यहां विचाराधीन है;
- (ख) क्या यह सही है कि कांटी बिजली घर की तीसरी यूनिट के लिए एन.टी.पी.सी. तथा बरौनी बिजली घर तीसरी यूनिट का मामला डी.पी.आर. के चक्कर में फंसा हुआ है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिजली की आपूर्ति के लिए कांटी एवं बरौनी के बिजली घरों की तीसरी यूनिट निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है, उसे चालू कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----

### मुआवजा का भुगतान

\* 441. श्री नीरज कुमार : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि मुख्यालय स्तर पर गठित विद्युत स्पर्शाघात कमिटी को भंग कर बिहार को 14 अंचलों में बांटकर नई कमिटी का गठन कर दिया गया है जिसके अध्यक्ष अधीक्षण अभियंता होंगे;

- (ख) क्या यह सही है कि विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु होने पर परिजन को चार लाख मुआवजा देना है तथा कमिटी की बैठक हर माह होगी;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय विद्युत स्पर्शाघात से कितने लोगों की जान गई है, कितनों को मुआवजा दिया गया है तथा कितने मुआवजा से वंचित हैं, उन्हें कबतक मुआवजा दिया जायेगा ?

-----

### पठन-पाठन में कठिनाई

\* 442. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि बिहार में आयुष विश्वविद्यालय नहीं रहने के कारण आयुष छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में कठिनाई होती है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### दवाओं की व्यवस्था

\* 443. श्री रामचन्द्र भारती : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप लगातार फैल रहा है;
- (ख) क्या यह सही है कि दिनांक 06.10.2016 गुरुवार को पटना शहर के अगमकुंआ स्थित आर.एम.आर.आई. में 30 सैंपलों की जांच में 12 डेंगू और छः चिकनगुनिया के सैंपल पाये गये हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल-जमाव से उत्पन्न मच्छरों के भयंकर प्रकोप से बचने हेतु मच्छर मारक छिड़काव तथा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में डेंगू व चिकनगुनिया के इलाज और दवाओं की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे गरीब तबके के मरीजों को काफी असुविधा हो रही है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल-जमाव से उत्पन्न मच्छरों के भयंकर प्रकोप से बचाव हेतु मच्छर

मारक छिड़काव तथा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में डेंगू व चिकनगुनिया के इलाज और दवाओं की समुचित व्यवस्था हेतु कौन-सी कार्रवाई कर रही है ?

-----

**कर्मियों का स्थानान्तरण**

\* 444. श्री केदार नाथ पाण्डेय : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प पत्रांक-434, दिनांक 01.03.2007 के अनुसार सरकारी कर्मचारी एक स्थान पर 3 वर्ष पदस्थापित रह सकते हैं एवं स्थानान्तरण में स्थापना समिति नहीं रहेगी;
- (ख) क्या यह सही है कि औषधि निरीक्षक कार्यालय, पटना एवं सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय, पटना में पदस्थापित वर्ग-3 के कर्मचारी विगत पांच वर्षों से अधिक से पदस्थापित हैं;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड-'ख' में वर्णित वर्ग-3 के कर्मियों का स्थानान्तरण करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

-----

**अनिवार्यता लागू**

\* 445. श्री कृष्ण कुमार सिंह : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि राज्य में दवा दुकान चलाने के लिए फॉर्मासिस्ट का होना आवश्यक है;
- (ख) क्या यह सही है कि ड्रग इंस्पेक्टर की मिलीभगत से राज्य की करीब छः हजार दवा की दुकानें बिना लाइसेंस के तथा बिना फॉर्मासिस्ट के चलाई जा रही हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि एक व्यक्ति के फॉर्मासिस्ट के लाइसेंस पर विभिन्न जिलों में अनेक दवा की दुकानें चल रही हैं;
- (घ) क्या यह सही है कि इससे सरकारी राजस्व की क्षति के साथ-साथ विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे व्यक्तियों को उपर्युक्त दवाएं नहीं मिलतीं;
- (ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन अवैध दवा दुकानों के साथ-साथ ड्रग इंस्पेक्टर पर कार्रवाई कर राज्य की सभी दवा दुकानों में एक ही फॉर्मासिस्ट की अनिवार्यता कड़ाई से लागू करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

-----

### मशीन नहीं

\* 446. श्री संजय प्रकाश : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि पी.एम.सी.एच. एवं आई.जी.एम.एस. जैसे बड़े अस्पताल में अपना एम.आर.आई. मशीन नहीं है, जिस कारण मरीजों को बाहर से एम.आर.आई. कराना पड़ता है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य सरकार राजधानी के अस्पतालों में कबतक एम.आर.आई. मशीन लगा पाएगी ?

### शुल्क लेने का विचार

\* 447. श्री रजनीश कुमार : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि गांव में आटा चक्की मशीन के लिए विद्युत शुल्क के रूप में 70 यूनिट/एच.पी. के आधार पर विद्युत शुल्क का निर्धारण किया जाता है;
- (ख) क्या यह सही है कि आटा चक्की का विद्युत खपत 70 यूनिट/एच.पी. से कम होने की स्थिति में भी निर्धारित राशि ही वसूल की जाती है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार निर्धारित राशि के बदले खपत के अनुसार शुल्क लेने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

### कार्रवाई करने पर विचार

\* 448. प्रो. संजय कुमार सिंह : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि सरकारी निर्देश के आलोक में बायोमैट्रिक प्रणाली से हाजिरी नहीं बनाने तथा दवा दुकानों की जांच नहीं करने के कारण सिविल सर्जन, नालंदा ने जिला में पदस्थापित औषधि निरीक्षक नागेन्द्र कुमार, राजेश कुमार सिन्हा तथा मो. परवेज अख्तर के जून, 2012 से नवंबर, 2012 एवं मार्च, 2013 से दिसंबर, 2013 तक वेतन पर रोक लगाते हुए अपने कार्यालय के पत्रांक-1004, दिनांक 26.09.2013 को स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवेदन भेजा था;

- (ख) क्या यह सही है कि वेतन स्थगित करने वाले सिविल सर्जन के स्थानांतरित होते ही उत्तराधिकारी सिविल सर्जन ने लंबित वेतन का भुगतान दिनांक 31 मार्च, 2014 और 10.8.2015 में कर दिया;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार औषधि निरीक्षकों को अनियमित तरीके से वेतन भुगतान करने वाले सिविल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई करने तथा उनके वेतन से पैसे की वसूली करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

-----

### चिकित्सा सेवा

\* 449. **डा. रामवचन राय एवं श्री राम लषण राम रमण** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि डा. अजय प्रकाश, सचिव, स्वास्थ्य जागरूकता मिशन, पटना को संबोधित विभागीय पत्रांक-16/एम 1-73/2011-718(दे.चि.) पटना दिनांक 6.9.2012 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में सचिवालय स्थित चिकित्सालय में अन्य पद्धतियों के साथ मर्मदाब योग (एक्युप्रेसर योग) पद्धति से दिनांक 12.10.2012 से सफलतापूर्वक नियमित निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है;
- (ख) क्या यह सही है कि जनता की मांग पर विभागीय पत्रांक-16/ए 1-02/2014-707(दे.चि.) दिनांक 4.8.2014 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में लोकनायक जय प्रकाश नारायण सुपर स्पेशीलिटी अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में सफलतापूर्वक नियमित निःशुल्क चिकित्सा सेवा दी जा रही है;
- (ग) क्या यह सही है कि माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक 17.2.2016 को अपने औचक निरीक्षण के पश्चात् इसकी गुणवत्ता को देखते हुए मानदेय भुगतान हेतु विभाग को पीतपत्र लिखा गया है जो विभाग में लंबित है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त एक्युप्रेसर चिकित्सकों को मानदेय भुगतान करेगी तथा अन्य चिकित्सालयों में लोकप्रिय दवारहित वैज्ञानिक एक्युप्रेसर चिकित्सा सेवा आरंभ करेगी, यदि हां तो किस निश्चित तिथि तक ?

-----

### स्थानान्तरण कबतक

\* 450. श्री सतीश कुमार : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि डा. अनवर आलम, चिकित्सक, प्रा. चि. केन्द्र, कलेर, अरवल जिला एवं अतुलेश्वर सिंह, चिकित्सक, प्रा. चि. केन्द्र, फेनहारा अब केसरिया, पूर्वी चम्पारण के पारस्परिक स्थानान्तरण करने के संबंध में दिनांक 21.1.16 को आवेदन दिया था ;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त संदर्भ में विभागीय डायरी संख्या-167, दिनांक 21.1.2016 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्रवाई हेतु मुझे सूचित किया गया था;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डा. अनवर आलम (चिकित्सक) प्रा. चि. केन्द्र, फेनहारा, जिला अरवल एवं डा. अतुलेश्वर सिंह, प्रा. चि. केन्द्र अब केसरिया, पूर्वी चम्पारण का पारस्परिक स्थानान्तरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

### दोषी पर कार्रवाई

\* 451. श्री लाल बाबू प्रसाद : क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी के हजरत लिलवनात आवासीय मदरसा मकिया की 21 छात्राएं रात का खाना खाने के बाद बीमार हो गईं, कुछ छात्राओं की स्थिति गंभीर हो गई थी;
- (ख) क्या यह सही है कि 12 फरवरी (रविवार) के दिन उक्त मदरसा विद्यालय में चावल एवं रात्रि खाने में तबीयत बिगड़ गई;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विषाक्त भोजन परोसने एवं गैर-जिम्मेदाराना हरकत के लिए दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

### पदों का पुनर्गठन

\* 452. डा. उपेन्द्र प्रसाद : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य परिदर्शक जो राज्य स्तरीय पद है और राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है, जिसकी संवर्ग नियमावली मंत्रिमंडल, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित है, जिसका बिहार गजट प्रकाशन सं.-988, पटना, दिनांक 28.8.2015 है;
- (ख) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभागीय अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग को विभागीय पत्रांक-217(4), दिनांक 16.2.2017 द्वारा पुनर्गठित करते हुए मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों को वेतनमान सहित चिन्हित किया गया है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार स्वास्थ्य परिदर्शक पदों को पुनर्गठित करते हुए मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों को वेतनमान सहित चिन्हित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### विभागीय कार्रवाई

\* 453. प्रो. नवल किशोर यादव : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि यांत्रिक प्रमंडल, बिहारशरीफ के श्री सुभाष ठाकुर, पम्प चालक 20 वर्षों से बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र के लोहगानी मुहल्ला में कार्यरत हैं;
- (ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित कर्मी बिना कार्य किए किन्हीं अन्य से पम्प चलवाकर वेतन भुगतान ले रहे हैं, जो वित्तीय अनियमितता है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वेतन भुगतान पर रोक लगाकर विभागीय कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।  
वस्तुस्थिति यह है कि श्री सुभाष ठाकुर वर्ष 2006 से पम्प ऑपरेटर के पद पर समायोजन के उपरांत बिहारशरीफ अवर प्रमंडलान्तर्गत कार्यरत हैं। श्री ठाकुर वर्ग-4 के कर्मी हैं जिन्हें अवर प्रमंडल अन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्था के तहत आवश्यकतानुसार पम्प का संचालन, मरम्मती एवं संपोषण का कार्य लिया जाता रहा है। विगत तीन वर्षों से शहरी जलापूर्ति केन्द्र, इमादपुर में कार्य कर रहे थे, परन्तु दिनांक 29.06.16 को बिहारशरीफ शहरी जलापूर्ति योजना नगर

निगम, बिहारशरीफ को हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात् उनसे अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ के अंतर्गत मरम्मती एवं सम्पोषण का कार्य लिया जा रहा है।

- (ख) उत्तर अस्वीकारात्मक है।  
श्री ठाकुर वर्तमान में मरम्मती एवं सम्पोषण कार्यों में अपनी सेवा दे रहे हैं, इनसे पम्प चालक का कार्य नहीं लिया जा रहा है।
- (ग) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

### कालबद्ध प्रोन्नति

\* 454. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि डा. अशोक कुमार गौतम, चिकित्सा पदाधिकारी, उपकारा, बाढ़, जिला-पटना को स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं.-401(4), दिनांक 25.07.98 द्वारा (दिनांक 26.03.83 से 26.03.93 तक) 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं.-200(3), दिनांक 26.05.14 द्वारा 21 वर्षों के बाद गलत मंतव्य देकर रद्द कर दिया गया;
- (ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग के ज्ञापांक 3/न्याय 1-11/2010-200(3), दिनांक 26.05.14 को रद्द करते हुए डा. गौतम को अविलम्ब प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ देना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

### भवन का निर्माण

\* 455. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत चक्की प्रखंड की ग्राम पंचायत अरक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है;
- (ख) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बिलकुल जर्जर स्थिति में है;
- (ग) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन जर्जर स्थिति के कारण कभी भी गिर सकता है जिसके कारण बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है;
- (घ) क्या यह सही है कि जर्जर स्थिति के कारण कर्मचारी भी हमेशा भयभीत रहते हैं;

- (ड) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### यूनिट स्थापित

\* 456. श्री सूरज नन्दन प्रसाद : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि एक इकाई यूनिट रक्त से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कणों आर.बी.सी. को अलग कर तीन मरीजों की जान बचाई जा सकती है;
- (ख) क्या यह सही है कि रक्त के इन अवयवों को कम्पोनेन्ट्स में अलग करने हेतु पटना में छ: और मुजफ्फरपुर व दरभंगा में एक-एक पृथक्करण इकाई सेपेरेटेओन यूनिट के अलावा राज्य के किसी भी अस्पताल में यह इकाई नहीं है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में रक्त पृथक्करण इकाई ब्लड सेपेरेन्टेओन यूनिट स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां तो किन-किन अस्पतालों में और कबतक?

-----

### निष्पक्ष जांच

\* 457. श्री सच्चिदानंद राय : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के कोसियावां ग्राम में स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना कार्यान्वित है;
- (ख) क्या यह सही है कि इस योजनान्तर्गत पम्प हाउस के निर्माण में मानक गुणवत्ता का घोर अभाव होने की शिकायत मिलने पर सरकार द्वारा जांच के आदेश दिए गए, किन्तु जांच प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है;
- (ग) क्या यह सही है कि इस योजनान्तर्गत पाइप लाइन भारतीय रेलवे की जमीन में तथा रेलवे लाइन के नीचे बिछायी गयी है जो नियम के विरुद्ध है;

- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोशियावां ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

### बिजली की व्यवस्था

\* 458. श्री अर्जुन सहनी : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कटरा प्रखंड की बेरई उत्तरी पंचायत के बरहद टोला में अभी तक बिजली का पोल नहीं पहुंचा है;
- (ख) क्या यह सही है कि बिजली के अभाव में बरहद टोलावासी लालटेन युग में रहने को बाध्य हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि सरकार राज्य के हर घर में बिजली पहुंचाने को प्रतिबद्ध है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बरहद टोला में बिजली पहुंचाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

### विद्युतीकरण योजना

\* 459. श्री राजन कुमार सिंह : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत सभी प्रखंड में विद्युत पोल लगाया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्युत पोल लगने के पश्चात् अभी तक तार एवं ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा है, जिससे ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अधूरी है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पोल पर तार एवं ट्रांसफार्मर से जोड़ने का कार्य कबतक कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

### विद्युत आपूर्ति

\* 460. श्री राणा गंगेश्वर सिंह : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के प्रखंड सकरा, ग्राम-रामपुर बखरी में पूर्व सांसद स्व. मंजय लाल के घर के सामने 11 हजार वोल्ट का विद्युत तार लगभग 10-12 फीट की ऊंचाई पर ताना गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के अ.सू.जा. के टोला में भी अधिकांश गरीबों के दरवाजा पर से तार गुजरने के कारण तार के शॉर्ट सर्किट से कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तार पोल की ऊंचाई निर्धारित मापदंड के अनुसार नया पोल गाड़कर विद्युत आपूर्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### चिकित्सकों एवं कर्मियों का पदस्थापन

\* 461. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत चोरौत प्रखंड के पूर्व स्वीकृत शैय्या वाले अस्पताल का भवन निर्माण जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद अभी तक नहीं हो सका है;
- (ख) क्या यह सही है कि चोरौत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे प्रखंड स्तरीय 24 x 7 की चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है;
- (ग) क्या यह सही है कि चोरौत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड स्तरीय 24 x 7 की चिकित्सा सुविधा को ध्यान में रखते हुए 30 शैय्या वाला अस्पताल भवन का निर्माण कराते हुए स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों एवं कर्मियों का पदस्थापन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

### दंडात्मक कार्रवाई

\* 462. श्री चन्देश्वर प्रसाद : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि उपबंधित राशि के अन्तर्गत ही आवंटन देने का प्रावधान है;
- (ख) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुष निदेशालय से आवंटनादेश संख्या-16(ब) दे.चि., दिनांक 23.12.2016 द्वारा चिकित्सा भत्ता में 1,80,000/- रुपये एवं आवंटनादेश संख्या-23(ब) (आ.चि.), दिनांक 25.01.2017 द्वारा कार्यालय व्यय, सामग्री पूर्तियां एवं मशीन उपस्कर मद में क्रमशः 2000/-, 2000/- एवं 4000/- रुपये वित्त विभाग से उपबंधित राशि के आलोक में अधिक राशि आवंटित की गई है, इस कृत्य में संलिप्त कर्मियों द्वारा राशि की अनियमित निकासी के उद्देश्य से किया गया है जो प्रथमदृष्टया वित्तीय अनियमितता सत्य प्रतीत होता है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त की गई वित्तीय अनियमितता में संलिप्त दोषी कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

-----

**सुविधा उपलब्ध**

\* 463. श्री मो. गुलाम रसूल : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय अरवल में स्थित सदर अस्पताल में आई.सी.यू. एवं ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है;
- (ख) क्या यह सही है कि आई.सी.यू. एवं ब्लड बैंक की सुविधा नहीं होने के कारण आपातकालीन मरीजों के इलाज में कठिनाई होती है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सदर अस्पताल, अरवल में आई.सी.यू. एवं ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना  
दिनांक 28 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार  
सचिव  
बिहार विधान परिषद्